भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1380
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

1380. श्री अरुण भारती:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई - जी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) कितने आवासों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और कितने आवासों के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं;

(घ) बिहार विशेषकर जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और

(ङ) जमुई संसदीय क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत पहले से स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने वाले मकानों के निर्माण को पूरा करने के लिए निधियां जारी करने हेतु प्राप्त शेष अनुरोधों/ आवेदनों को अनुमोदित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): जी, हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाईजी) कार्यान्वित कर रहा है , जिसका उद्देश्य 2024 तक बिहार राज्य सहित देश भर में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। कुल लक्ष्य में से , बिहार राज्य को पीएमएवाई -जी के तहत 37,01,362 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 37,00,928 को मंजूरी दी गई है और दिनांक 25.07.2024 की स्थिति के अनुसार 36,58,755 मकान का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ग): प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, राज्य को निधियां स्वीकृत किए गए आवासों के लाभार्थियों की आवश्यकता के आधार पर राज्य से प्राप्त प्रस्ताव , राज्य

नोडल खाते में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि , कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की उपलब्धियों के आधार पर जारी की जा रही है। पीएमएवाई - जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य को एक इकाई मानते हुए सीधे राज्य को जारी की जाती है। ये निधियां विभिन्न जिलों में आगे लाभार्थियों को संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। यह निधि सदृश राज्य अंश , उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट स्तर तक इसके उपयोग सहित निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 तक केंद्रीय अंश के रूप में 29,362.15 करोड़ रुपये की पूरी और अंतिम राशि पहले ही बिहार राज्य को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा , 24.7.2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत बिहार के लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों और जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

लक्ष्य	स्वीकृत मकान	प्रथम किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	निर्मित
37, 01,362	37,00,928	36,58,868	36,62,576	36,41,610	36,58,755

(घ):बिहार में 36,58,755 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है , जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र में 36,346 मकान शामिल हैं.

जमुई संसदीय क्षेत्र में मुंगेर , शेखपुरा और जमुई जिलों के 6 ब्लॉक शामिल हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र में निर्मित मकानों का विवरण निम्नानुसार है:

जिलों के नाम	ब्लॉक	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
मुंगेर	तारापुर	2,818	2,818	2,760
शेखपुरा	शेखपुरा	5,960	5,960	5,897
जमुई	सिकंदर	2,208	2,208	2,190
	जमुई	3675	3,674	3,601
	झाझा	8,851	8,851	8,790
	चकई	13,153	13,153	13,108
जमुई संसदीय क्षेत्र में कुल मकान		36,665	36,664	36,346

(ङ) राज्य को जारी करने के लिए कोई केंद्रीय अंश लंबित नहीं है।

****